<u>वर्ष 2013-14 सत्र के दौरान केन्द्रीय पूल की एम बी बी एस एवं बी डी एस सीटों के संबंध में आरक्षित सीटों पर प्रवेश</u>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्रीय चयन समिति देश के विभिन्न मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में एम बी बी एस तथा बी डी एस पाठ्यक्रमों में विभिन्न विभागों/संगठनों के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करती है। केन्द्रीय पूल कोटा के तहत गृह मंत्रालय इस योजना के लाभाग्राहियों में से एक है।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्रीय पूल से एम बी बी एस/बी डी एस सीटों तथा मेडिकल/डेंटल कॉलेजों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण गृह मंत्रालय {केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम रायफल्स तथा आसूचना ब्यूरो} को भेजा था। वर्ष 2012-13 के लिए गृह मंत्रालय हेतु केन्द्रीय पूल कोटा से एम बी बी एस/बी डी एस सीटों का आबंटन <u>अनुलग्नक 'क'</u> के अनुसार है। गृह मंत्रालय के केन्द्रीय पूल कोटा हेतु विर्निदिष्ट कॉलेजों तथा सीटों की संख्या वर्ष दर वर्ष बदल सकती है।

3. प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, के. स. पु. ब., असम रायफल्स तथा आसूचना ब्यूरो अपने बल कार्मिकों के आश्रितों की एकल मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं तथा इसे समेकन के लिए गृह मंत्रालय को अग्रेषित करते हैं। प्रत्येक बल/आसूचना ब्यूरो से प्राप्त मेरिट सूचियों के आधार पर एक संयुक्त सूची तैयार करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी जाती है। अंततः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आयोजित केन्द्रीय चयन समिति की बैठक में अंतिम सूची के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात्, अभ्यर्थियों को गृह मंत्रालय द्वारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तथा उन्हें मेरिट-सह-इच्छा के अनुसार विर्निदिष्ट कॉलेजों में सीटें आबंटित की जाती हैं।

4. गृह मंत्रालय (के. स. पु. ब., असम रायफल्स तथा आसूचना ब्यूरो) में केन्द्रीय पूल एम बी बी एस तथा बी डी एस सीटों के आबंटन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) के. स. पु. बलों तथा असम रायफल्स के कार्मिकों के पात्र बच्चों/विधवाओं/पत्नियों को निम्नलिखित वरीयता क्रम में आरक्षित सीटों पर मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में नामांकित करने के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाता है:-

वरीयता सूची I:	कार्रवाई के दौरान मारे गए कार्मिकों के बच्चे/विधवा/पत्नी
वरीयता सूची II:	कार्रवाई के दौरान स्थायी रूप से अपंग होने वाले

तथा ऐसे कार्मिक, जिन्होंने चिकित्सा आधार पर सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

वरीयता सूची III: सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के बच्चे

(iii) मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में ऊपर उल्लिखित आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए आसूचना ब्यूरो के कार्मिकों के मामलों पर केवल वरीयता सूची I एवं II के लिए ही विचार किया जाता है।

(iv) मंत्रालय अर्थात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीधे प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाता तथा इसे संबंधित बल को अग्रेषित कर दिया जाता है।

(v) उपर्युक्त श्रेणियों के लिए सीटों के आबंटन तथा अभ्यर्थियों के ब्यौरे से संबंधित विवरण मौजूदा वर्ष के दौरान केन्द्रीय चयन समिति के सदस्यों को बैठक के समय मुहैया करवा दिया जाएगा।

(vi) एम बी बी एस/बी डी एस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय उस वर्ष 31 दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए।

5. ऐसे अभ्यर्थियों, जो पात्र नहीं है, के असावधानीवश किए जाने वाले चयन तथा मामले में कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए शैक्षणिक सत्र – 2006-07 से केन्द्रीय चयन समिति द्वारा नामों को क्लीयर करने संबंधी प्रक्रिया की पुनरीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में लिखित पुष्टि प्राप्त की जाएगी कि अभ्यर्थी की पात्रता की उनके द्वारा जांच कर ली गई है तथा अभ्यर्थी की पात्रता दिशानिर्देशों के अनुरूप है। ऐसे अभ्यर्थियों, जिनका चयन किसी और स्थान पर हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता की संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि की जानी है, सहित सभी अभ्यर्थियों का नाम अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। तथापि, उन अभ्यर्थियों, जिनकी पात्रता पूरी नहीं है उनकी उम्मीदवारी अनंतिम होगी।

6. शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से एम बी बी एस/बी डी एस पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु मेरिट निर्धारण का मानदंड निम्नानुसार होगा :-

i) केन्द्रीय पूल की एम बी बी एस/बी डी एस सीटों का मेरिट आधारित आबंटन राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एन ई ई टी) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों तथा ऊपर पैरा 4 (i) में उल्लिखित वरीयता सूची के अनुसार किया जाएगा। ऊपर पैरा 4 (v) के अलावा, अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा-

क) उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी को निम्नानुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, अभ्यर्थी को भौतिकी, रासायनिकी, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में से प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना होगा और उसे अर्हकारी परीक्षा (अर्थात् 12वीं कक्षा) में भौतिकी, रासायनिकी तथा जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी (पी सी बी) विषयों में कुल मिलाकर निम्नलिखित अंक प्राप्त करने होंगे:-

क्र. स.	श्रेणी	एन ई ई टी में न्यूनतम परसेंटाइल	अर्हकारी परीक्षा में पी सी बी विषयों में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत
1.	सामान्य	50वां	50 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	40वां	40 प्रतिशत
3.	निचले अंगों में चलने में अक्षमता	45वां	45 प्रतिशत

ख) एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ''राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा'' में ऑल इंडिया कॉमन मेरिट लिस्ट में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर प्रतिशतता का निर्धारण किया जाएगा।

ii) एक अभ्यर्थी, जिसने अर्हकारी परीक्षा, जिसका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, दे रखी है, उसे अनतिंम रूप से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जा सकती है तथा यदि उसका एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन हो जाता है तो उसे तब तक उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह एम एम सी आई के स्नातक चिकित्सा शिक्षा, 1997 संबंधी विनियमन के विनियम 4 के तहत पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर लेता/लेती है।

7. केन्द्रीय पूल कोटा के तहत एम बी बी एस तथा बी डी एस सीटों पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के आवेदनों तथा पात्रता की जांच करने और उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित एन ई ई टी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर एक समेकित मेरिट लिस्ट एवं संगत वरीयता सूची, जिसमें वह अभ्यर्थी आता है, को तैयार करने के लिए महानिरीक्षक (कार्मिक) के. रि. पु. ब. की अध्यक्षता में एक समिति/अधिकारियों के एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें संबंधित डी आई जी/प्रत्येक बल/पणधारी के समक्षक रैंक के अधिकारी शामिल होते हैं।

प्रत्येक बल अनुलग्नक-ख में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवेदक/बल कार्मिक से प्राप्त आश्वासन सहित अपने अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट महानिरीक्षक (कार्मिक) के. रि. पु. ब. को भेजेगा। उच्च अधिकारियों के बोर्ड द्वारा समेकित मेरिट लिस्ट तैयार किए जाने के बाद इस लिस्ट को अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय इसके पश्चात् इस लिस्ट को अभिज्ञात कॉलेजों में एम बी बी एस तथा बी डी एस सीटों पर प्रवेश के लिए योग्य बच्चों की मुख्य सूची तथा रिजर्व सूची संस्तुत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् गृह मंत्रालय द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अनुलग्नक – 'क'

वर्ष 2012-13 सत्र के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लाभार्थियों को केन्द्रीय पूल से एम बी बी एस/बी डी एस सीटों के आबंटन को दर्शानेवाला विवरण

गृह मंत्रालय (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स एवं आसूचना ब्यूरो के लिए)

1. एम बी बी एस

1. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली - 1(एक)
2. जी.एस.वी.एम.मेडिकल कॉलेज, कानपुर, उत्तरप्रदेश - 1(एक)
3. एम.जी.एम.मेडिकल कॉलेज, इन्दौर, मध्य प्रदेश - 1(एक)
4. एम.एल.बी.मेडिकल कॉलेज, झांसी, उत्तर प्रदेश - 1(एक)
5. एम एल एन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद - 1(एक)
6. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मिराज, महाराष्ट्र - 1(एक)
7. डॉ. वी.एम. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सोलापुर, महाराष्ट्र- 1(एक)

-

कुल - *7* (सात)

2. बी डी एस

1. डॉ. आर. अहमद डेंटल कॉलेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 1(एक)
2. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 1(एक)

--

कुल - 2(दो)

नोट – निर्धारित कॉलेजों और गृह मंत्रालय के केन्द्रीय पूल के लिए सीटों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बदल सकती है।

<u>**अनुलग्नक – 'ख'**</u>

<u>वचन</u>

मैं, -- पुत्र/पुत्री --------------------

<u>अथवा</u>

मैं, --- आई आर एल ए/बल सं./आई डी सं. -----------------------, में (बल/आई बी) ---के रूप में कार्यरत, निवासी ---------------------------------
----

एतद्द्वारा वचन देता/देती हूँ कि मेरे किसी भई या बहन/बच्चे को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल्स एवं आसूचना ब्यूरो के कार्मिकों के आश्रितों (वार्डों) के लिए केन्द्रीय पूल कोटे के तहत एम बी बी एस/बी डी एस सीट के लिए चयनित नहीं किया गया है। यदि किसी भी समय उपर्युक्त सूचना गलता पाई जाती है तो मुझे उन एम बी बी एस/बी डी एस पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने से विवर्जित कर दिया जाए जिसके लिए मेरा चयन केन्द्रीय पूल कोटे के अंतर्गत किया गया है **(उम्मीदवार की दशा में)**

<u>अथवा</u>

मेरे विरूद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए **(माता-पिता/कार्मिक की दशा में)**

(माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर) (उम्मीदवार

के हस्ताक्षर)